कोटा महोत्सव : हैरिटेज वॉक में रंग-बिरंगे साफे एवं परिधान पहनकर लोगों ने वॉक की

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री एवं जन प्रतिनिधि शामिल हुए

कोटा, (निसं)। तीन दिवसीय कोटा महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को प्रातः हैरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं रंग-बिरंगी पोशाकों में सजे आमजन ने उत्साह के साथ हैरिटेज वॉक में हिस्सा लिया। शान से निकली हैरिटेज वॉक के माध्यम से कोटा शहर के हैरिटेज, यहां की संस्कृति एवं प्राचीन स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने का सार्थक प्रयास किया गया।

पाटनपोल स्थित मथुराधीशजी मंदिर में दर्शन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, जिला कलक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, जन प्रतिनिधि राकेश जैन एवं गणमान्य लोगों का हुजूम रंग-बिरंगी पगड़ियां एवं साफे पहनकर हैरिटेज वॉक लिए निकल पड़ा। वॉक मथुराधीशजी मंदिर से पाटनपोल, गढ़ पैलेस, नीलकंठ महादेव मंदिर, कैथूनीपोल, श्रीपुरा, सब्जीमंडी, अग्रसेन बाजार होती हुई हैरिटेज वॉक रामपुरा बाजार पहुंची जहां कचौरी फेस्ट का आयोजन किया गया। कोटा की मशहूर गर्मा-गर्म कचौरी हैरिटेज वॉक में शामिल लोगों को खिलाई गई।

सभी ने स्वादिष्ट का आनंद लिया। हैरिटेज वॉक के गढ़ पैलेस पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष एवं अन्य अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया। बिरला ने यहां कोटा महोत्सव की पुस्तिका का विमोचन भी किया। वॉक के दौरान विभिन्न स्थानों पर व्यापार संगठनों की ओर से लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया गया। स्कूली बच्चों, महिलाओं,

कोटा महोत्सव के तहत हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया।

बुजुर्गों एवं युवाओं ने श्री बिरला का पुष्प वर्षा एवं मालाएं पहनाकर स्वागत किया। हैरिटेज वॉक के मार्ग पर विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा स्वागत द्वार लगाए गए जहां पुष्प वर्षा कर लोकसभा अध्यक्ष एवं अन्य अतिथियों का स्वागत हुआ। हैरिटेज वॉक का समापन रामपुरा बाजार में पीपल के पेड़ के नीचे आकर हुआ। हैरिटेज वॉक का कारवां रामपुरा बाजार से सब्जीमंडी तक दिखाई दिया।

कोटा की विविधता प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयासः- रामपुरा बाजार में समापन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी को कोटा महोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोटा एक ऐतिहासिक एवं समृद्ध विरासत, समृद्ध संस्कृति एवं परम्पराओं वाला शहर है जिसकी पहचान इसकी विविधता है। इस विविधता भरी पहचान को देश-दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने एवं यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन दिवसीय कोटा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से कोटा की पहचान, यहां की विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा शहर को एक विशिष्ट रंग के माध्यम से अलग पहचान देने, हैरिटेज वॉक के मार्ग पर फसाड़ लाईट्स तथा अन्य उपायों से यहां का सौंदर्य निखारने की दिशा में प्रयास करने पर चर्चा हुई है और इसके लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। अगले वर्ष कोटा महोत्सव काफी बदला हुआ दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि मथुराधीशजी मंदिर की परिक्रमा एवं अन्य विकास कार्यों के लिए विधायक कोष से राशि खर्च कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी के सहयोग एवं भागीदारी से कोटा को नई ऊंचाईयों पर ले जाने एवं शहर को समृद्ध व खुशाल बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कोटा का स्वरूप निखारने और यहां की हैरिटेज को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोटा देश के बेस्ट कनेक्टिविटी शहरों में से एक है। इस शहर को पर्यटन नगरी बनाने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने भी संबोधित किया। हैरिटेज वॉक के दौरान बेस्ट ट्रेडिशनल ड्रेस कपल के लिए रूप प्रकाश सुमन एवं संतोष सुमन का चयन किया गया। उन्हें 5 हजार रुपए के खरीदारी के वाउचर दिए गए। बेस्ट ट्रेडिशनल ड्रेस महिला मोनिका सिंह, बेस्ट ट्रेडिशनल ड्रेस पुरुष के लिए घनश्याम सोरल का चयन किया गया। उन्हें 4-4 हजार रुपए के वाउचर दिए गए।

बेस्ट ट्रेडिशनल ड्रेस किड्स कैटेगिरी में नुपुर सुमन, लक्ष्य अग्रवाल का चयन किया गया। उन्हें 2-2 हजार रूपये के वाउचर दिए गए। सभी विजेताओं को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हैरिटेज वॉक एवं कोटा महोत्सव के लिए विशेष प्रयास करने पर एसएसआई एसोसिएशन, कोटा व्यापार महासंघ, होटल एसोसिएशन कोटा डिविजन एवं ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन को सम्मानित किया गया। हैरिटेज वॉक में कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा संभाग के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी, कोटा मोटर व्हिकल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम भाटिया एवं सचिव अनिल मूंदड़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष माहेश्वरी एवं सचिव अनुज माहेश्वरी, कोटा पैट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष तरूमित सिंह बेदी, हार्ट वाइन्स ग्रुप के संयोजक डॉ.साकेत गोयल सहित विभिन्न व्यापारिक एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्य हैरिटेज वॉक में शामिल हुए। हैरिटेज वॉक के मार्ग पर 150 से ज्यादा स्वागत द्वार बनाए गए। कैथूनीपोल, रामपुरा बाजार सहित कई स्थानों पर व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मालाएं पहनाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। कचौरी फेस्ट के दौरान 18 हजार कचौरियां हैरिटेज वॉक में शामिल आमजन को खिलाई गई। इसमें रतन कचौरी, ब्रजवासी मिष्ठान एवं शुभम नमकीन भंडार का सहयोग रहा।

रेलवे में आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम की बैठक आयोजित

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेलवे में अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा स्थिति में सुधार को लेकर अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक-सह-प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा तीनों मंडलों में तैनात निरीक्षक (इंस्पेक्टर) अपराध खुफिया

- **रेलवे ट्रेनों और स्टेशनों पर बढ़ते अपराधों के समाधान की चर्चा की**

शाखा एवं विशेष खुफिया शाखा के बल सदस्योंध के साथ की गई। वर्ष 2024 में किये गये कार्यों की समीक्षा की गई एवं जिन मदों पर कमी पायी गई उनमें सुधार करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि रेलवे के सभी क्षेत्रों में अपराधी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए और तेजी से कार्रवाई की जाऐं। बैठक में विभिन्न सुरक्षा पहलुओं, जैसे कि रेलवे सम्पसत्ति की सुरक्षा, चोरी गई रेल सम्पनत्ति की बरामदगी, मानव तस्करी की रोकथाम, ट्रेनों में चोरी, टिकट दलालों पर ठोस कार्यवाही, अवैध हॉकर वैंडर पर कार्यवाही और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान रेलवे ट्रेनों और स्टेशनों पर बढ़ते अपराधों के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा की गई। अपराधों की रोकथाम के लिए, सीसीटीवी कैमरो की मदद से निगरानी बढ़ाने, खुफिया जानकारी एकत्रित करने और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षात्मक उपायों को और मजबूत करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये। इसके अलावा, यात्रियों के साथ बेहतर संवाद और सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की बात भी की गई। अधिकारियों ने इस बैठक के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए रेलवे सुरक्षा बल के समन्वय से अपराधों पर नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता जताई।

जर्सी वितरण अभियान जारी

कोटा, (निसं)। रेसपीयेन ऑफिसर्स पेंशनर्स एसोसिएशन (रोपा) का राजकीय विद्यालयों में जर्सी वितरण का सिलसिला एक अभियान के तहत लगातार जारी है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मान पुरा में 80 जर्सीयों का वितरण किया।

कार्यालय नगर पालिका अन्ता जिला बारां (राज0)

Kota Baran Road, Anta 325202 दूरभाष-07457-244404, फैक्स-244404 Email : antanagarpalika@gmail.com

क्रमांक : न.पा.अं./भू.शा./2024-25/3992-96 दिनांकः 19.12.2024

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्तियो द्वारा नगर पालिका में पटटा भू-उपयोग परिर्वतन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई है इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अपने दस्तावेजों के साथ आपत्ति पालिका में प्रस्तुत कर सकते है। बाद गुजरने मियाद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

भू-उपयोग परिर्वतनः-

क्र. स.	नाम आवेदक मय पता	भूखण्ड का पता/विवरण	पटटा कमांक/ दिनांकः	भू-उपयोग परिर्वतन का विवरण
1	श्री खुशवन्त खण्डेलवाल पुत्र श्री गोविन्द खण्डेलवाल	गोविन्द विहार अन्ता	168/159- 5.04.2022	358.22 वर्गमीटर/ आवासीय व्यवसायिक प्रयोजन
2	श्री खुशवन्त खण्डेलवाल पुत्र श्री गोविन्द खण्डेलवाल	गोविन्द विहार अन्ता	175/158- 5.04.2022	528.46 वर्गमीटर/ आवासीय व्यवसायिक प्रयोजन

राज.संवाद/सी/24/9492 अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/14716 दिनांकः 24.12.24

भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हुकम चन्द जैन पुत्र स्व. श्री हरक चंद जैन व श्री प्रतीक जैन पुत्र श्री हुकम चन्द जैन व श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री हरक चंद जैन एवं श्री वैभव जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन निवासी-336 दादाबाड़ी विस्तार कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखंड संख्या-66-67 दादाबाड़ी विस्तार कोटा (राज.) का नगर निगम कोटा दक्षिण में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखंड संख्या-66-67 दादाबाड़ी विस्तार कोटा क्षेत्रफल-7200 वर्गफुट (668.90 वर्गमीटर) का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। उक्त भूखंडों का एकीकरण नगर निगम कोटा दक्षिण के कार्यालय आदेश क्रमांक : ननिको/जोन प्रथम/भ.नि.अनु./2024/10719-20 दिनांक 26.09.2024 से श्री हुकम चन्द जैन पुत्र स्व. श्री हरक चंद जैन व श्री प्रतीक जैन पुत्र श्री हुकम चन्द जैन व श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र स्व. श्री हरक चंद जैन एवं श्री वैभव जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन के पक्ष में एकीकरण किया गया है। आवेदित भूखंड का भू उपयोग कोटा शहर के अनुमोदित मास्टर/जोनल प्लान व प्रचलित नियमों के दृष्टिगत मिश्रित प्रयोजनार्थ निर्धारित है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड क्षेत्रफल-7200 वर्गफुट (668.90 वर्गमीटर) का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार भूखंड के आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन बाबत किसी व्यक्ति/संस्था आदि या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखंड से संबंध रखता है को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/14630 दिनांकः 23.12.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शाहादाब खान पुत्र श्री अब्दुल मजीद निवासी भूखंड संख्या 409 शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 409 शोपिंग सेन्टर कोटा से लगी भूपट्ट क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 409 शोपिंग सेन्टर कोटा से लगी 960 वर्गफुट भूपट्टी का पंजीयन कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा दिनांक 22.02.1996 को तथा भूपट्टी क्षेत्रफल 240 वर्गफुटका पंजीयन दिनांक 01.02.1999 को श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री अब्दुल लतीफ के नाम करवाया गया। श्री अब्दुल वहीद ने जर्ये नोटेरी मुख्तार नामा आम दिनांक 30.02.2003 से श्री अब्दुल हफीज पुत्र श्री अब्दुल लतीफ को उक्त भूपट्टी का मुख्तार आम नियुक्त कर दिया। श्री अब्दुल हफीज ने जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 24.10.2024 से उक्त भूखंड श्री शाहादाब खान पुत्र श्री अब्दुल मजीद को दान कर दिया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूपट्टी के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूपट्टी का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूपट्टी से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-उत्तर

क्रमांकः-ननिको.(उ.)/भ.नि.अनु./जोन-प्रथम/2024/11488-89 दिनांकः 24.12.24

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह अरोडा पुत्र श्री चान्दमल अरोडा निवासी-98 घोसी मोहल्ला, देवली टोंक कोटा राजस्थान द्वारा नयापुरा थाने के सामने, नयापुरा कोटा का क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।

आवास/भूखंड नयापुरा थाने के सामने, नयापुरा स्थित भूखंड का आवंटन म्यूनिसिपल बोर्ड शहर कोटा (राजस्थान) द्वारा दिनांक 05.01.1959 को श्री गहरीलाल पुत्र श्री नारायणदास जिसका कुल क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट के पक्ष में जारी किया गया था। श्री गहरीलाल पुत्र श्री नारायणदास ने जर्ये वसीयत नामा दिनांक 15.08.1987 को श्री चान्दमल पुत्र श्री गहरीलाल के पक्ष में किया गया। श्री चान्दमल पुत्र श्री गहरीलाल की मृत्यु दिनांक 11.04.1996 को हो गई है। मृत्यु उपरांत श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व. श्री चान्दमल द्वारा जर्ये वसीयत नामा दिनांक 25.01.2007 को आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह अरोडा पुत्र श्री चान्दमल के पक्ष में किया गया। श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व. श्री चान्दमल की मृत्यु दिनांक 02.09.2011 को हो चुकी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार आवास/भूखंड नयापुरा थाने के सामने, नयापुरा कोटा द्वारा कुल क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित रुप से अधो-हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Room No. 345-347, Mini Secretariat, Jhalawar-326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com, Ph. 07432-295071

रा.रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./झालावाड़/BM-55/1793 दिनांकः 20.12.24

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माईन कलस्टर-मैसेनरी स्टोन-कल्स्टर क्षेत्र 9.1662 हैक्टेयर कल्स्टर उत्पादन क्षमता 8,63,823 टन/वर्ष (ROM) (मैसर्स श्री सिद्धार्थ गोयल खसरा नं. 725/1, 726/1 (एम.एल. नं. 09/2023), प्रस्तावित खनन क्षेत्र-1.0009 हैक्टेयर, मैसेनरी स्टोन-प्रस्तावित उत्पादन क्षमता-95,505 टन/वर्ष (ROM) मैसर्स श्री कान सिंह (एम.एल. नं. 4/2018) क्षेत्र-1.0 हैक्टेयर, मैसर्स श्री कान सिंह (एम.एल. नं. 06/2018), क्षेत्र-1.0 हैक्टेयर, मैसर्स श्री हरीश यादव (एम.एल. नं. 10/2012), क्षेत्र-1.0 हैक्टेयर, मैसर्स श्री ग्रिट्स बिल्डिंग एण्ड मेटेरियल सप्लायर (एम.एल. नं. 07/2013), क्षेत्र-1.0 हैक्टेयर, मैसर्स श्री ग्रिट्स बिल्डिंग एण्ड मेटेरियल सप्लायर (एम.एल. नं. 08/2013), क्षेत्र-1.0 हैक्टेयर, मैसर्स श्री जोगध्यान गैरा (एम.एल. नं. 04/2021), क्षेत्र-2.0041 हैक्टेयर, मैसर्स अनिता वद्दी (एम.एल. नं. 09/2019), क्षेत्र-1.1612 हैक्टेयर) ग्राम बापचा, तहसील छबड़ा जिला-बारां (राज.)
2. और चूंकि मैसर्स श्री सिद्धार्थ गोयल पुत्र, खसरा नं. 725/1, 726/1 (एम.एल. नं. 09/2023) द्वारा मैसेनरी स्टोन प्रोजेक्ट ग्राम बापचा, तहसील-छबड़ा, जिला-बारां (राज.) प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
3. और चूंकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में उक्त वर्णित सम्पूर्ण कलस्टर की जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है-
   1. कार्यालय जिला कलक्टर, बारां ।
   2. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां ।
   3. कार्यालय जिला परिषद बारां ।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, झालावाड़ ।
   5. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
   6. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर ।
   7. जिला उद्योग केन्द्र, बारां ।
   8. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बारां ।
   9. क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, ए-209-218 अरन्या भवन, महात्मा गांधी रोड, झालाना डूंगरी, जयपुर (राज.) 302004

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आप प्रस्तावित खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए सम्पूर्ण क्लस्टर की जन सुनवाई हेतु दिनांक 31.01.2025 को दोपहर 2.00 बजे ग्राम पंचायत मुख्यालय बापचा पर उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में आप अपने लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय कमरा नं. 345-347 मिनी सचिवालय जिला-झालावाड़ में भी प्रस्तुत कर सकते है।

आज्ञा से
(अनुराग यादव) क्षेत्रीय अधिकारी

रेजोनेंस का एडू फन जानिया

कोटा, (निसं)। रेजोनेंस पी.सी.सी.पी. विभाग सभी विद्यार्थीयों के मनोरंजन के लिए लेकर आया है एडू फन जानिया 3.0 पी.सी.सी.पी. प्रमुख मनोज शर्मा ने बताया कि इस उत्सव का आयोजन 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसके अंतर्गत 26 दिसंबर को बच्चों को खेलकूद जैसे रिले रेस, टग ऑफ वार, म्यूजिकल चेयर, लेमन रेस एवं बच्चों द्वारा बाल मेले का आयोजन किया जायेगा। 27 दिसंबर को साइंस एग्जिबिशन, एडू फन जानिया फेयर जिसमें मैजिक शॉ, गन शूटिंग, पोट मेकिंग एवं मोटिवेशनल मूवी दिखाई जाएगी जिसका पंजीकरण शुल्क मात्र 150/- है जिसका रजिस्ट्रेशन रेजोनेंस के ऑफिस में आकर कर सकते है। यह शुल्क 26 और 27 दिसंबर के लिए लागू रहेगा।

भूल सुधार

दिनांक 24.12.24 को राष्ट्रदूत में प्रकाशित कार्यालय ग्राम पंचायत, बाड़ौलिया में क्रमांक संख्या 79/2024 प्रकाशित हो गया है, जिसे 29/2024 पढ़ा जावे।

खोया पाया

हेमंत खंडेलवाल पुत्र रामशरण खंडेलवाल 1-A-21 तलवंडी कोटा का आवंटन पत्र कब्जा पत्र व भौतिक कब्जा पत्र गुम हो गया है। किसी को मिलने पर सूचित करें

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-4524 जाहिर आम सूचना दिनांक 23.12.24

आवास संख्या 3-बी-11 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री नन्द किशोर मेडतवाल पुत्र श्री राम गोपाल को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री नन्द किशोर मेडतवाल पुत्र श्री राम गोपाल के नाम दिनांक 28.09.1991 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री नन्द किशोर मेडतवाल पुत्र श्री राम गोपाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 25.11.1991 को श्रीमती सुशीला ढल पत्नी श्री कमल किशन ढल को किया गया। श्रीमती सुशीला ढल पत्नी श्री कमल किशान ढल का नाम दिनांक 03.04.2024 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती सुशीला ढल पत्नी श्री कमल किशन ढल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 28.08.2024 को श्री प्रमोद कुमार सोनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सोनी को किया गया। श्री प्रमोद कुमार सोनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सोनी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-बी-11 दादाबाडी विस्तार योजना कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री प्रमोद कुमार सोनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सोनी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करनें में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री प्रमोद कुमार सोनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सोनी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्री प्रमोद कुमार सोनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सोनी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-4546 जाहिर आम सूचना दिनांक 24.12.24

आवास संख्या 3-ई-3 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री पी.के. डींगरा पुत्र श्री हीरानन्द को किया गया था। उक्त आवास का नियमितिकरण श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री विजयराज सिंह के नाम दिनांक 30.03.2000 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री विजयराज सिंह द्वारा दिनांक 31.03.2000 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती रेखा सिंह की मृत्यु दिनांक 06.02.2023 को व इनके पति श्री विजयराज सिंह की मृत्यु दिनांक 02.12.2021 को हो चुकी है। श्रीमती रेखा सिंह पत्नी श्री विजयराज सिंह द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 19.07.2021 को श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजयराज सिंह के पक्ष में आलेखित की गई। श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजयराज सिंह द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-ई-3 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा के आधार पर श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजयराज सिंह के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजयराज सिंह के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजयराज सिंह के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-4545 जाहिर आम सूचना दिनांक 24.12.24

आवास संख्या 3-ई-2 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह राना पुत्र श्री जगमाल सिंह को किया गया था। उक्त आवास का नियमितिकरण श्री विजयराज सिंह पुत्र स्व.श्री शिवचरण सिंह के नाम दिनांक 08.04.2000 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री विजयराज सिंह पुत्र स्व.श्री शिवचरण सिंह द्वारा दिनांक 17.04.2000 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री विजयराज सिंह की मृत्यु दिनांक 02.12.2021 को व इनकी पत्नी श्रीमती रेखा सिंह की मृत्यु दिनांक 06.02.2023 को हो चुकी है। श्री विजयराज सिंह पुत्र स्व.श्री शिवचरण सिंह द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 19.07.2021 को श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजयराज सिंह के पक्ष में आलेखित की गई। श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजयराज सिंह द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-ई-2 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा के आधार पर श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजयराज सिंह के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजयराज सिंह के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री विजयराज सिंह के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

नि:शुल्क शिविर में 154 लोग लाभान्वित

कोटा, (निसं)। सिंधु होस्पिटल में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल अध्यक्ष अशोक झमटानी व संरक्षक किशोर मदनानी ने बताया कि झालावाड़ रोड़ स्थित सिंधु होस्पिटल में प्रातः 9.30 बजे से 11.30 बजे तक नि:शुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 154 रोगियों की जांचें और पराम